क्रम संख्या–32 (छ) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 ई0
चैत्र 03, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या 65/VIII–1/23–740(श्रम)/2002
देहरादून, 24 मार्च, 2023

अधिसूचना
विविध

चूंकि, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 526/VIII-1/22–740(श्रम)/2002 दिनांक 11.11.2022 द्वारा उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप संविदा श्रम (विनियम तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना पर आपत्ति या सुझाव यदि कोई हों, तो अनिवार्य रूप से गजट की अधिसूचना के प्रकाशन से सात दिनों की अवधि के भीतर श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल को प्रेषित किये जाने एवं प्राप्त समस्त सुझाव/आपत्तियों को संकलित करके अपनी टिप्पणी शासन को उपलब्ध कराने हेतु श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया था;

और चूंकि, श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा उक्त अधिसूचना की प्रति www.ukpublicconsultation.in पोर्टल पर अपलोड करते हुए उक्त से संबंधित विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के दिनांक 15.11.2022 के उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर दी गयी थी;

और चूँकि, उक्त नियमावली के प्रारूप पर जनता से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, अब राज्यपाल, संविदा श्रम (विनियम तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 को संशोधित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगी।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 17 का संशोधन

2 उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली, 2003 के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र देने की रीति [धारा –7(1) तथा 35(2) (सी)]	अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की रीति [धारा–7(1) तथा 35(2) (सी)]
(1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रपत्र संख्या 1 में उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा जिस क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने वाला अधिष्ठान स्थित हो।	(1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र–1 में उस क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को विभाग के संगत ऑन–लाईन पोर्टल पर किया जाएगा।
(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट आवेदन–पत्र के साथ कोषागार रसीद होगी जिसमें अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए भुगतान की गई फीस उल्लिखित होगी।	(2) प्रत्येक मुख्य नियोजक श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेख जैसा कि पोर्टल/संगत नियमों में अपेक्षित हो, सहित उपलब्ध ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन/ आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पंजीयन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र या तो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा अथवा उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन –पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उस पर आवेदन–पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात आवेदक को अभिस्वीकृति का पत्र भेजेगा।

नियम 21 का संशोधन 3 उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली, 2003 के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
लाइसेन्स के लिए आवेदन–पत्र [धारा –13(1) तथा 35(2) (घ)]	अनुज्ञा के लिए आवेदन [धारा–13(1) तथा 35(2)(घ)]
(1) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र संविदाकार द्वारा प्रपत्र संख्या 4 में, तीन प्रतियों में, उस क्षेत्र के, जिसमें वह अधिष्ठान स्थित है और जिसका कि वह संविदाकार है, लाईसेन्स अधिकारी को दिया जायेगा।	(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र संविदाकार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र–4 में उस क्षेत्र के अनुज्ञा अधिकारी को विभाग के संगत ऑन–लाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक संविदाकार श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेख सहित जैसा कि पोर्टल/संगत नियमों में अपेक्षित हो, ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा/आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अनुज्ञा स्वतः स्वीकृत समझी जाएगी।
(2) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ प्रपत्र संख्या 5 में मुख्य सेवायोजक द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र होगा कि आवेदन उसके अधिष्ठान के संबंध में संविदाकार के रूप में सेवायोजित किया गया है और वह	(2) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ प्रपत्र संख्या 5 में मुख्य सेवायोजक द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र होगा कि आवेदन उसके अधिष्ठान के संबंध में संविदाकार के रूप में सेवायोजित किया गया है और वह अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों से वहां तक बाध्य होने का वचन देता

अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों से वहां तक बाध्य होने का वचन देता है जहां तक आवेदकों द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजक के संबंध में मुख्य सेवायोजक के रूप में उस पर वे उपबन्ध लागू हों।

(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन–पत्र लाइसेन्स को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा अथवा उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन –पत्र प्राप्त होने पर, लाइसेन्स अधिकारी उस पर आवेदन –पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात् आवेदक को अभिस्वीकृति का पत्र भेजेगा।

(5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ कोषागार रसीद भी होगी जिसमें :–

(1) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति को जमा राशि, तथा

(2) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान प्रदर्शित होगा।

है जहां तक आवेदकों द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजक के संबंध में मुख्य सेवायोजक के रूप में उस पर वे उपबन्ध लागू हों।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ कोषागार रसीद भी होगी जिसमें :–

(i) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति को जमा राशि, तथा

(ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान प्रदर्शित होगा।

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **65/VIII-1/23-740(labour)/2002,** Dehradun dated March 24, 2023 for general information:

No. 65/VIII-1/23-740(Labour)/2002

Dated Dehradun, March 24, 2023

NOTIFICATION
Miscellaneous

Whereas, as required under sub-section(I) of section 35 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 vide Uttarakhand Government Notification No.526 / VIII - 1 / 22- 740(labour) / 2002 dated 11.11.2022 draft of certain rules further to amend the Uttrakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) Rules, 2003, all concerned who may be affected by the proposed amendment were directed to compulsory provided the objection and suggestion on mentioned notification if any, within the period of seven days to Labour Commissioner, Uttarakhand, Shram Bhawan, Haldwani, Nainital, and labour Commissioner, Uttarakhand, was directed to collect all such suggestion /Objection and present before the State Government with his/her recommendation ;

And whereas, Labour Commissioner, Uttarakhand uploaded the copy of mentional notification on portal www.ukpublicconsultation.in and Advertisement related to which was published in Uttarakhand edition of daily newspaper Amar Ujala ,Danik jagran dated 15.11.2022;

And whereas, no objection/suggestion received from the public in respect of the said drafts rules ;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred in sub- section(1) of section 35 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the governor herby makes the following rules further, to amend the Uttarakhand Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 2003 namely:-

The Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2023

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2023
(2) It shall extends to the whole of Uttarakhand.
(3) It shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of Rule-17

2. In the Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022 for the existing rule 17 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Rules**	**Column-2** **Rules hereby substituted**
Manner of making application for registration of establishments: Sections 7 (1) and 35 (2) (c) -	**Manner of application for registration of establishments [Sections 7 (1) and 35 (2) (c)]**
(1) The application referred to in sub - section (1) of section 7 shall be made in triplicate , in Form - I to the registering officer of the area in which the establishment sought to be registered is located ,	(1) application referred in the sub-section(1) of section-7 shall be applied in Form-1 on the relevant online portal of the Department to the Registering officer of the area .
(2) The application referred to in sub - rule (1) shall be accompanied by a treasury receipt showing payment of the fees for the registration of the establishment .	(2) Every Principal Employer shall apply online the authorized portal of Labour Department, Uttarakhand Government & upload with the proof of submission of prescribed fee and relevant documents as specified on the portal/rules.If the concerned authority does not decide the registration of application with in 20 days of making application, then the registration shall be deemed approved.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by registered post .

(4) On receipt of the application referred to in sub- rule (1), the registering officer shall, after noting there on the date of the receipt by him of the application, grant an acknowledgment to the applicant .

Amendment of Rule 21

3. In the Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022 for the existing rule 21 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule hereby substituted
Application for a licence : Sections 13 (1) and 35 (2) (d)	**Application for a licence : (Sections 13 (1) and 35 (2) (d)]**
(1) Every application by a contractor for the grant of a license shall be made in triplicate in Form no . IV to the Licensing Officer of the area in which the establishment, in relation to which he is the contractor , is located .	(1) Every application by a contractor under sub-section(1) for the grant of a licence shall be made in prescribed Form IV to the licensing officer of the area in which the establishment in relation to which he is the contractor, is located through relevant online portal of Labour Department. Every application for the grant of licence by a contractor shall be uploaded on the online format on the relevant portal of Labour Department, Uttarakhand Government with the proof of submission of prescribed fee & relevant documents as specified on the portal/rules. If the concerned authority does not decide the licence/ application within 20 days of making the application for grant of license, the license shall be deemed approve.
(2) Every application for the grant of a license shall be accompanied by a certificate by the principle employer in Form V to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he under takes to be bound by all the provisions of the Act and the rules made there under in so far as the provisions are applicable to him as principle employer in respect of the employment of contract labour by the applicants .	(2) Every application for the grant of a license shall be accompanied by a certificate by the principle employer in Form V to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he under takes to be bound by all the provisions of the Act and the rules made there under in so far as the provisions are applicable to him as principle employer in respect of the employment of contract labour by the applicants .
(3) Every such application shall be either personally delivered to the Licensing Officer or sent to him by registered post .	(3) Every application referred to in sub - rule (1) shall also be accompanied by a treasury receipt showing :- (i) the deposit of the security at the rates specified in rule - 24 , and

(4) In receipt of the application referred to in sub - rule (1) , the Licensing Officer shall after nothing thereon the date of receipt of the application , grant an acknowledgement to the applicant .

(5) Every application referred to in sub-rule (1) shall also be accompanied by a treasury reciept showing

(i) the deposit of the security at the rates specified in rule - 24 , and
(ii) the payment of the fees at the rate specified in rule 26

(ii) the payment of the fees at the rate specified in rule 26 .

R. MEENAKSHI SUNDRAM,
Secretary.